न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 58/2015
दायर दिनांक :— 18—11— 2015
निर्णय दिनांक :— 24—07— 2019

अनवान

श्री नाथु पिता गिरधारी लाल गुर्जर निवासी गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

———अपीलांट

बनाम

1.पटवारी पटवार मण्डल गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गढबोर तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, गढबोर नामान्तरकरण सख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 राजस्व ग्राम गढबोर

उपस्थित :—

1— श्री जितेन्द्र देवपुरा अधिवक्ता अपीलांट
2— पेरोकार सरकार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गढबोर द्वारा राजस्व ग्राम गढबोर पटवार हल्का गढबोर का नामान्तरकरण संख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 अपीलाण्ट को बिना सूचित किये एवं बिना सुने स्वीकृत करने से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 26.10.2015 को जमाबन्दी एंव नामान्तकरण कि नकल निकलवाई तथा उसके आधार पर नामान्तकरण कि सारी स्थिति की जानकारी होते ही उक्त अपील प्रस्तुत की गई । जानकारी के अभाव में जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं । पेरोकार सरकार उपस्थित । नामान्तकरण अपील को मेरिट के आधार पर एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णित किय जाना आवश्यक है। पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई ।

अपीलाण्ट द्वारा अपील निम्न बिन्दूओं पर पेश कि गई :–ग्राम गढबोर में भगवान श्री चारभुजा नाथ का मन्दिर स्थित होकर चारभुजा मन्दिर की सेवा पुजा के लिये ग्राम की कुछ आराजीयात को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थान मेले के लिये आरक्षित किया जाकर सार्वजनिक प्रयोग के लिये उपयोग उपभोग में ली जाती है। जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ मेले के लिये घोषित की गई । जिन आराजीयात को राज्य सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लिये जाने का आदेश पारित किया गया । वो आराजीयात बिलानाम एवं चारागाह भूमि होकर स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है। माननीय जिलाधीश महोदय उदयपुर द्वारा अपने पत्रांक 12(3)/रैवेन्यु/109 /71/दिनांक 20.10.1971 से ग्राम गढबोर की कुल 12 आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया था । परन्तु हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये कुल 13 आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर दी गई । जो गैर कानूनी होकर विधिसम्मत नहीं । जिससे उक्त नामान्तकरण विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

पेराकार सरकार (रेस्पोडेण्ट) ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गढबोर द्वारा राजस्व ग्राम गढबोर पटवार हल्का गढबोर का नामान्तरकरण संख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 विधि अनुसार खोला गया हैं । अपीलार्थी को दिनांक 26.10.2015 को उक्त नामान्तकरण की प्रथम मर्तबा जानकारी होने के तथ्य सर्वथा गलत झुठे व बेबुनियाद हैं। अपीलाण्ट के विरूद्व तहसीलदार गढबोर द्वारा दिनांक 25.01.2007 को सम्बधित आराजी 4168/1 रकबा 9.05 बीघा किस्म मगरी का धारा 91 में प्रकरण दर्ज कर नाजायज कब्जे से बैदखल कर शास्ति 300/– आरोपित की गई हैं। अपीलाण्ट को जानकारी तो दिनांक 25.01.2007 को ही थी। अपीलाण्ट द्वारा नाजायज कब्जे की अपील इसी न्यायालय में दिनांक 03.02.2007 को की गई । जिसमें अपील खारीज की जाकर तहसीलदार का फैसला बहाल रखा गया। तथा इस न्यायालय के फैसले की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर को की गई । वहां भी न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर का फैसला बहाल रखा गया। इस प्रकार उक्त अपील सारहिन होने से तहसीलदार गढबोर द्वारा खोला गया राजस्व ग्राम गढबोर का नामान्तकरण संख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 बहाल रखा जावे एवं अपील अपीलाण्ट खारीज फरमाई जावे।

प्रकरण मेरिट के आधार निर्णित किया जाना है। इस पर पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । प्रस्तुत अपील राजस्व

ग्राम गढबोर पटवार हल्का गढबोर का नामान्तरकरण संख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 की है, जो विधि अनुसार खोला गया हैं । अपीलार्थी को दिनांक 26.10.2015 को उक्त नामान्तकरण की प्रथम मर्तबा जानकारी होने के तथ्य सर्वथा गलत झुठा व बेबुनियाद हैं। अपीलाण्ट को इस बात की जानकारी पहले से ही थी । अपीलाण्ट के विरूद्व तहसीलदार गढबोर द्वारा दिनांक 25.01.2007 को सम्बधित आराजी 4168/1 रकबा 9.05 बीघा किस्म मगरी का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नाजायज कब्जे से बैदखल कर शास्ति 300/– आरोपित की गई थी। अपीलाण्ट को जानकारी तो दिनांक 25.01.2007 को ही थी। अपीलाण्ट द्वारा नाजायज कब्जे की अपील इसी न्यायालय में दिनांक 03.02.2007 को की गई । अपील खारीज होकर तहसीलदार गढबोर का फैसला बहाल रखा गया। अपीलाण्ट इस न्यायालय के फैसले के विरूद्व अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर को की गई । वहां भी न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर का फैसला बहाल रखा गया। तहसीलदार गढबोर द्वारा खोला गया नामान्तकरण बहाल रखा गया । इस प्रकार उक्त अपील सारहीन होने से तहसीलदार गढबोर द्वारा खोला गया राजस्व ग्राम गढबोर का नामान्तकरण संख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ । खोला गया नामान्तकरण बहाल रखा जाता है। अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाती है। तहसीलदार, गढबोर द्वारा राजस्व ग्राम गढबोर पटवार हल्का गढबोर का नामान्तरकरण संख्या 2911 दिनांक 10.06.2009 विधि सम्मत होने से बहाल रखा जाता हैं ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द